



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 1978/फाल्गुन 5, 1899  
No. 104] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 1978/PHALGUNA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## मीनसंकेत सचिवालय

### अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1978

क्र० आ० 128 (अ) —राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य ब्राउटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य ब्राउटन) (एक सौ छम्बीसवाँ संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य ब्राउटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में—

(i) “वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत, “क वाणिज्य विभाग” उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 14 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् —

(क) “14(क) देश में आपत और निर्यात के लिये इस्टैट बाय और इस्टैट काफी का ससाधन और वितरण।”;

(ख) प्रविष्टि 15 में, मद (v) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जायेगी, अर्थात् —

“(vक) तम्बाकू बोर्ड।”;

(ii) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के नीचे,

(क) उप शीर्षक “क प्राथिक कार्य विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 18 का सौय किया जायेगा,

(ख) उप-शीर्षक “ख व्यय विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 7 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् —

“7-क केन्द्रीय योजना नियमों का प्रशासन।”;

(iii) “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत, उप-शीर्षक “कामिक और प्रशासनिक, सुधार विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 19 में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् —

“(ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान।”;

(iv) “उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत,

(क) उप-शीर्षक “क औद्योगिक विकास विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् —

“6 सभी उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता, जिनमें किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते, परन्तु जिनमें डबल रोटी, तिलहन चूर्ण (खाद्य), नास्ते के आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (जिसके अन्तर्गत कोकी ससाधन और पाकलेट बनाना भी आता है), माल्टसार, पृथक्कृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन आहार, स्तन्य-स्थान आहार और उत्सारित (एक्सट्रैक्ट) खाद्य उत्पाद (जिनके अन्तर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार आते हैं) से सम्बन्ध उद्योग शामिल है।”;

(ख) उप-शीर्षक “ख भारी उद्योग विभाग” के अन्तर्गत, प्रविष्टि 5 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् —

“5क द्राक्ष निर्माण उद्योग।”

(v) "पूति और पुनर्वांग मन्त्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, उप-शीर्षक "क पुनर्वासि विभाग" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्—

"2 प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों को राहत और उनका पुनर्वासि।"

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[म० 74/2/1/78-सी० एफ०]

### CABINET SECRETARIAT

#### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd February, 1978

**S.O. 128(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-sixth Amendment) Rules, 1978.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule—
  - (i) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (VANIJYA, NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", after entry 14, the following entry shall be inserted, namely :—
    - (a) "14(A) Processing and distribution for domestic consumption and exports of Instant tea and Instant Coffee.";
    - (b) in entry 15, after item (v), the following item shall be inserted, namely :—
 

"(va) Tobacco Board.";
  - (ii) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA);
    - (a) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", entry 18 shall be omitted;
    - (b) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)", after entry 7, the following entry shall be inserted, namely :—
 

"7A. Administration of the Central Treasury Rules.";
  - (iii) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under the sub-heading "DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)", in entry 19, for item (b), the following item shall be substituted, namely :—
 

"(b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Institute of Secretariat Training and Management.";
  - (iv) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)",
    - (a) under the sub-heading "A DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely :—

"6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department, but including industries relating to bread, oilseed meals (edible) breakfast foods, biscuits, confectionery (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).";

(b) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG)", after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

"5A. Trawler building industry.";

(v) under the heading "MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (POORTI AUR PUNARVAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF REHABILITATION (PUNARVAS VIBHAG)", for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. Relief and rehabilitation of repatriated Indian nationals.".

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/2/1/78-CF]

का० भा० 129(अ) —राष्ट्रपति, मन्त्रिमण्डल के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवटन) (एक नौ सप्ताहसर्वा संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनु-सूची में—

(क) शीर्षक "कृषि और मिर्चाई मन्त्रालय" के अन्तर्गत, उप-शीर्षक "कृषि विभाग के अन्तर्गत, प्रविष्टि 6 में,

(i) मद संख्या (य) में, अन्त में लिखा शब्द "और" हटा दिया जाये;

(ii) मद संख्या (घ) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ दी जाये, अर्थात्—

(क) मत्स्य समाधान उद्योग के लिये विकास परिषद की स्थापना और उसकी प्रबन्ध व्यवस्था, और

(ख) मत्स्य समाधान उद्योग की तकनीकी सहायता और सलाह।"

(ख) शीर्षक "वाणिज्य, नागरिक पूति और सहकारिता मन्त्रालय" के अन्तर्गत, उप-शीर्षक "क वाणिज्य विभाग" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्—

"8 राज्य व्यापार की नीतिया तथा हम उद्देश्य के लिए स्थापित संगठनों का कार्य निष्पादन, जिनमें ये सम्मिलित हैं—

(i) राज्य व्यापार निगम तथा उसके महायक संगठन,

(ii) अन्तिम और धातु व्यापार निगम तथा उसके महायक संगठन",

(ग) शीर्षक "शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय" के अन्तर्गत उप-शीर्षक "समाज कल्याण विभाग" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 5 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात्:—

"5फ. स्त्रियों और बच्चों के बुक्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त प्रसंग।

5ख. सामाजिक रक्षा से सम्बद्ध मामलों पर अन्य देशों के साथ अभिसमय।";

(घ) शीर्षक "गृह मंत्रालय" के अन्तर्गत,

(i) प्रविष्टि 34 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएँ, अर्थात्:—

"34. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सम्बद्ध प्रश्नों सहित, न्यायिक मामलों पर अन्य देशों के साथ अभिसमय और अश्लील प्रकाशनों और अपराधों के निवारण तथा अपराधियों के साथ बर्ताव के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त प्रसंग।";

(ii) प्रविष्टि 49 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

"50. संघ राज्यक्षेत्रों का भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग—राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामले।";

(ङ) शीर्षक "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 23 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये, अर्थात्:—

"24. एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, कामनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसियेशन और नान-अलाइन्ड न्यूज एजेंसी पूल से सम्बद्ध सभी मामले।"

नीलम मंजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/78-सी० एक०]

बादल राय, संयुक्त सचिव

**S.O. 129(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-seventh Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)" under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)", in entry 6,

(i) in item (c), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(ii) after item (d), the following items shall be inserted, namely :—

"(e). Establishment and servicing of Development Council for fish processing industry; and

• (f). Technical assistance and advice to fish processing industry."

(b) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (VANI-JAY, NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIYA VIBHAG)", for entry 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"8. Policies of State trading and performance of organisation established for the purpose, including —

(i) State Trading Corporation and its subsidiaries;

(ii) Minerals and Metals Trading Corporation and its subsidiaries."

(c) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN VIBHAG)", after entry 5, the following entries shall be inserted, namely :—

"5A. Reference from the United Nations Organisation relating to traffic in women and children.

5B. Conventions with other countries in matters relating to social defence."

(d) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)",

(i) for entry 34, the following entry shall be substituted, namely :—

"34. Conventions with other countries in judicial matters, including questions relating to the International Court of Justice, and references from the United Nations Organisation relating to obscene publications and prevention of crime and treatment of offenders."

(ii) after entry 49, the following entry shall be inserted, namely :—

"50. Indian Administrative Service Cadre of the Union territories—matters falling within the purview of State Government."

(e) under the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)", after entry 23, the following entry shall be inserted, namely :—

"24. All matters relating to the Asian Broadcasting Union, Commonwealth Broadcasting Association and the Non-aligned News Agency Pool."

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/2/1/78-CF]

B. ROY, Jt. Secy.

